आरटीआई प्रकटीकरण (2020-21)

1. संगठन एवं प्रकार्य

क्रम. सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना / उपयुक्त वेब लिंक
1.1	संगठन, प्रकार्य और कर्तव्यों का विवरण [मद 4(1)(ख)(i)]	(i) संगठन का नाम एवं पता	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) सीआईएन:L65910DL1986GOI024862 पंजीकृत कार्यलय: ऊर्जनिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, भारत वेबसाइट: www.pfcindia.com दूरभाष: +91 11 23456000, फैक्स: +91 11 23412545
		(ii) संगठन के प्रमुख	श्री आर एस ढिल्लों (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)
		(iii) विजन एवं मिशन और प्रमुख उद्देश्य	पीएफ़सी का विजन एवं मिशन निम्नलिखित लिंक में दिया है :- https://www.pfcindia.com/Home/VS/5
			पीएफसी के संगम ज्ञापन (एमओए) में निहित प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं: **क. उद्देश्य जिनके लिए कंपनी की स्थापना की गई है** 1. नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से विद्युत सहित किसी भी रूप की विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या आपूर्ति से संबंधित परियोजनाओं, निर्माण गतिविधियों या कार्यों, उन्नयन, नवीनीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना । 2. विद्युत और विद्युत यांत्रिक प्रणालियों के निर्माण, उन्नयन, नवीनीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, वृद्धि आदि के विद्युतीकरण कार्यों सहित परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यों, स्टैंडअलोन या जो बड़ी परियोजनाओं का हिस्सा हैं, जैसे लिफ्ट सिंचाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट,

			स्मार्ट सिटी, रेलवे लाइन के विद्युतीकरण आदि की परियोजनाएं को वित्तीय सहायता प्रदान करना । 3. परियोजनाओं, गतिविधियों, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और विद्युत के पर्यावरणीय पहलुओं सहित सह-उत्पादन/त्रि-उत्पादन/संयुक्त ताप और विद्युत, अपशिष्ट ताप वसूली प्रणाली (ओं), ई-वाहन (वाहनों) और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु । 4. नवीकरणीय ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों सहित विद्युत क्षेत्र में आवश्यक पूंजीगत उपकरण (णों) के निर्माण के लिए यूनिटों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, संचालन, रखरखाव के लिए परियोजनाओं के वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु । 5. विद्युत क्षेत्र के लिए ईंधन या अन्य ईंधन आपूर्ति व्यवस्था के रूप में उपयोग के लिए कोयला और अन्य खनन गतिविधियों (ओं) के विकास सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, विद्युत परियोजनाओं के साथ आगे या पीछे की संबद्धता वाली परियोजनाओं, कार्यों और गतिविधियों को वित्तीय सहायत प्रदान करना, रेलवे लाइनों, सड़कों, पुलों, बंदरगाहों, जेट्टीयों और बंदरगाहों, गैस पाइपलाइनों, गैस टर्मिनल और ऐसे अन्य सक्षम बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए सुविधा(यों) जो खंड ए1 में शामिल एक विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक हो सकती है। 6. खंड A1 से A4 में शामिल किसी भी परियोजना, गतिविधि, या कार्य पर अध्ययन, सर्वेक्षण, जांच, अनुसंधान के लिए वित्तपोषण करना और ए1 से ए5 किसी भी खंड में कंपनी के व्यावसायिक हित को बढ़ावा देने के लिए परामर्श, प्रशिक्षण सहित किसी भी गतिविधि को अंजाम देना।
		(iv) कॉर्पोरेशन के प्रकार्य एवं कर्तव्य	पीएफ़सी का संक्षिप्त प्रोफाइल नीचे दी गई लिंक में दिया गया है :- https://www.pfcindia.com/Home/VS/4

			पीएफ़सी द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादक एवं सेवाओं का विवरण नीचे दिए गए लिंक में दिया गया है :- https://www.pfcindia.com/Home/VS/10
		(v) संगठन चार्ट	पीएफ़सी का संगठन चार्ट नीचे दी गई लिंक में उपलब्ध है :- https://www.pfcindia.com/Home/VS/82
		(vi) कोई अन्य विवरण-समय-समय पर विभाग और विभागाध्यक्ष की स्थापना, गठन के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों को निपटाया गया है।	**(क) कंपनी के गठन के बारे में :** कंपनी गठन के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए लिंक में है :- **पीएफ़सी के गठन का संक्षिप्त विवरण** **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** भारत सरकार का एक उपक्रम है, जिसकी स्थापना विद्युत क्षेत्र के लिए निधियन करने के प्रतिबद्ध एक वित्तीय संस्थान (एफ़आई) के रूप में 16 जुलाई, 1986 को की गई थी। आर्थिक, विश्वसनीय एवं दक्ष प्रणालियों और संस्थानों का विकास सुनिश्चित करने के लिए कंपनी वित्तीय प्रौद्योगिकीय एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान कर तथा संसाधनों की चेनलिंग कर विद्युत एवं संबद्ध क्षेत्रों के एकीकृत विकास के प्रतिबद्ध है। निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-4क के अंतर्गत वर्ष 1990 में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) घोषित किया गया। वर्ष 1998 में निगम को आरबीआई द्वारा एनबीएफ़सी के रूप में पंजीकृत किया गया। पीएफसी विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। पीएफसी को जून, 2007 में 'नवरत्न सीपीएसई' का दर्जा प्रदान किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 जुलाई, 2010 को एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी' के रूप में वर्गीकृत किया है। भारत के वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने में पीएफसी की अहम भूमिका है। किसी देश के विकास की गति को उसकी ऊर्जा खपत के आलोक में देखा जाता है। हमारे राष्ट्र के एक बड़े हिस्से के साथ, दुर्भाग्य से, बिजली तक पहुंच के बिना पीएफसी आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाएगा।

			(ख) विविध विभागों के विभागाध्यक्ष सूचना नीचे दी गई लिंक में है :- **https://www.pfcindia.com/Home/VS/50**
			(ग) समितियां पीएफ़सी की बोर्ड स्तरीय समितियों का विवरण नीचे दी गई लिंक में दिया गया है :- **https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1614341684991_Latest_Composition_of_Committees26022021.pdf&path=Page**
1.2	इसके अधिकारियों एवं कार्मिकों की शक्तियां एवं कर्तव्य [मद 4(1)(ख)(ii)]	(i) अधिकारियों एवं कार्मिकों की शक्तियां (प्रशासनिक, वित्तीय एवं विधिक)	**अधिकारियों एवं कार्मिकों की शक्तियां** निगम की सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना बनी हुई है तथा ओर्गेनोग्राम के अनुसार सीएमडी के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत विविध विभागों/प्रभागों के माध्यम से कार्य किए जाते हैं। निगम कार्यालय में अधिकारियों की विभिन्न श्रेणी के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य शक्तियों के विवरण को कंपनी की शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) में इंगित किया गया है। इसके अतिरिक्त, निगम के अधिकारियों और कार्मिकों को विभिन्न ग्राहकों, उपभोक्ताओं और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ अपने कर्तव्यों का संतोषजनक रूप से निर्वहन करने में सक्षम करने के लिए पर्याप्त संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद हैं।
		(ii) अन्य कार्मिकों की शक्तियां	**अधिकारियों एवं अन्य कार्मिकों की शक्तियां एवं कर्तव्य** निगम की सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना बनी हुई है तथा ओर्गेनोग्राम के अनुसार सीएमडी के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत विविध विभागों/प्रभागों के माध्यम से कार्य किए जाते हैं। निगम कार्यालय में अधिकारियों की विभिन्न श्रेणी के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य शक्तियों के विवरण को कंपनी की शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) में इंगित किया गया है। इसके अतिरिक्त, निगम के अधिकारियों और कार्मिकों को विभिन्न ग्राहकों, उपभोक्ताओं और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ अपने कर्तव्यों का संतोषजनक रूप से निर्वहन करने में सक्षम करने के लिए पर्याप्त संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद हैं।
		(iii) नियम/आदेश जिनके अंतर्गत शक्तियां एवं कर्तव्य निर्धारित और उपयोग किए जाते हैं।	**नियम/आदेश जिनके अंतर्गत शक्तियां एवं कर्तव्य निर्धारित और उपयोग किए जाते हैं**

			शक्ति के प्रत्यायोजन के माध्यम से सशक्तीकरण की योजना सुनिश्चित करती है कि व्यापार और सेवारत ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के निपटान से संबंधित विभिन्न मुद्दों को पर्याप्त गति के साथ सूचित किया जाता है जिससे गुणवत्ता सेवा सुनिश्चित होती है। शक्तियों का प्रत्यायोजन दस्तावेज़ व्यापक रूप से ऊपर से नीचे की ओर जाता है जिसमें निदेशक मंडल निर्णय लेने का सर्वोच्च निकाय होने के नाते कारोबारी निर्णयों का निपटान करता है तथा इसी के साथ ही पर्याप्त एवं शीघ्र निर्णयन के लिए ये शक्तियां अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक और इससे नीचे के कार्मिकों को प्रत्यायोजित की गई हैं।
		(iv) कार्य आबंटन	**<u>कार्य आबंटन</u>** भूमिकाएं और जिम्मेदारियां और कार्य आबंटन नागरिक चार्टर का हिस्सा हैं और नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है: - **https://www.pfcindia.com/Home/VS/50**
1.3	निर्णयन प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया [मद 4(1)(ख)(iii)]	(i) निर्णयन प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया प्रमुख निर्णय लेने वाले बिंदुओं की पहचान	**<u>निर्णयन प्रक्रिया और मुख्य निर्णयन बिंदुओं की पहचान :</u>** कंपनी का समग्र प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल में निहित है। निदेशक मंडल कंपनी के भीतर सर्वोच्च निर्णयन संस्था है। कंपनी अधिनियम, 2013 (पूर्व में 1956) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की आम बैठक में कुछ मामलों में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। निदेशक मंडल, जो कंपनी का अंतिम प्राधिकारी है, कंपनी के शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSE) होने के नाते कंपनी का निदेशक मंडल भी भारत सरकार के प्रति जवाबदेह है। कंपनी का दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन अध्यक्ष और कार्यात्मक निदेशकों और कंपनी के अन्य अधिकारियों के पास है। निदेशक मंडल ने शक्तियों के प्रत्यायोजन के माध्यम से कंपनी के अध्यक्ष, कार्यात्मक निदेशकों और कार्यपालकों को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। अध्यक्ष, कार्यात्मक निदेशक और अन्य अधिकारी शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अपनी निर्णयन शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
		(ii) अंतिम निर्णयन प्राधिकारी	**<u>अंतिम निर्णयन प्राधिकारी:-</u>** शक्तियों का प्रत्यायोजन दस्तावेज़ व्यापक रूप से ऊपर से नीचे की ओर जाता है जिसमें निदेशक मंडल निर्णय लेने का सर्वोच्च निकाय होने के नाते कारोबारी निर्णयों का निपटान करता है तथा इसी के साथ ही पर्याप्त एवं शीघ्र निर्णयन के लिए ये शक्तियां अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक और इससे नीचे के कार्मिकों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

		(iii) संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि	**<u>संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि</u>** निम्नलिखित मैनुअल, नियम और विनियम, निदेश, रिकॉर्ड आदि कॉर्पोरेशन द्वारा मुख्य रूप से धारित किए जाते हैं और कार्मिकों द्वारा अपने विभिन्न कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते समय इनका अनुपालन किया जाता है। क) संस्था के अंतर्नियम और संगम ज्ञापन ख) व्यवसाय और कार्य करने के लिए तैयार मैनुअल • मानव संसाधन मैनुअल • प्रोक्योरमेंट मैनुअल • सतर्कता मैनुअल • संसाधन जुटाव मैनुअल (डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल) • सर्विसिंग मैनुअल (डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल) • निवेश मैनुअल • जोखिम प्रबंधन नीति आदि ग) समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे एससी / एसटी / ओबीसी / दिव्यांगों आदि के लिए उपलब्ध आरक्षण और रियायतें और साथ ही वेतन संशोधन और नीतियों आदि के संदर्भ में भी समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के विभिन्न निदेश। घ) प्रचालनात्मक नीति संबंधी वक्तव्य (कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित), अनुदान एवं रियायती या ब्याज मुक्त ऋण आदि पर नीतियां, मानक ऋण दस्तावेज, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय करार आदि की शर्तें। ड) पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी), एकीकृत विद्युत विकास कार्यक्रम (आईपीडीएस) जैसे विषयों पर भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देश, विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए विद्युत मंत्रालय और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत भारत सरकार सहमति ज्ञापन, अन्य संगठनों जैसे प्रशिक्षण संस्थानों आदि के साथ किए गए एमओयू च) लागू विधियों/ नियमों के आवश्यक प्रावधान जैसे कंपनी अधिनियम, **2013 (**पूर्व में **1956),** आयकर अधिनियम, **1961,** सेबी दिशानिर्देश और अन्य संबंधित अधिनियम छ) कार्मिकों के विभिन्न वर्गों के लिए उपलब्ध सेवा शर्तों, हितलाभों आदि मे मामले में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देश। कर प्रवर्तन प्राधिकरणों जैसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखा, वित्त मंत्रालय आदि द्वारा जारी अनुदेश, दिशानिर्देश, परिपत्र। ज) निदेशक मंडल द्वारा यथानुमोदित शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी) की योजना। झ) कारोबार आदि के निपटान के मामले में कॉर्पोरेशन द्वारा जारी विभिन्न परिपत्र, अनुदेश।

		(iv) निर्णय (यदि कोई हो) लेने हेतु समय सीमा	समय अनुसूची पीएफ़सी के नागरिक चार्टर में वर्णित है जो नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है :- https://www.pfcindia.com/Home/VS/84
		(v) पर्यवेक्षण और जवाबदेही का माध्यम	**पर्यवेक्षण और जवाबदेही का माध्यम** निगम के पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित शक्ति के प्रत्यायोजन (डीओपी) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
1.4	कार्यों के निर्वहन हेतु मानक [मद 4(1)(ख)(iv)]	(i) प्रस्तावित कार्यों/सेवाओं की प्रकृति	**प्रस्तावित कार्यों/सेवाओं की प्रकृति** पीएफ़सी द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यों/सेवाओं का विवरण नीचे दिए गए लिंक में दिया गया है :- https://www.pfcindia.com/Home/VS/10

		(ii) प्रस्तावित कार्यों/सेवाओं की प्रकृति और कार्यों हेतु मानक/मानदंड	**<u>प्रस्तावित कार्यों/सेवाओं की प्रकृति और कार्यों हेतु मानक/मानदंड</u>** कॉर्पोरेशन के कार्यों को विभिन्न प्रकार के मानकों, नियमों और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के माध्यम से कुशल और कारगर ढंग से निर्वहन करने की मांग की जाती है, जैसे कि - क) कारोबारी नीतिशास्त्र का पालन, ख) सर्वोत्तम के प्रति जोश और परिवर्तन के लिए उमंग ग) ग्राहक अपेक्षाओं पर फोकस घ) प्रतिबद्धताओं का कड़ाई से अनुपालन ड) कॉर्पोरेशन के प्रूडेंशियल मानकों का पालन च) राष्ट्रीय योजनाओं और प्राथमिकताओं के साथ संगतता, वित्तीय और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के साथ आवश्यक और उपयुक्त क्लीयरेंस निर्धारित करने के लिए जरूरी सभी इनपुटों की उपलब्धता और पर्याप्तता छ) सभी मामलों में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता ज) व्यक्ति की गरिमा और योग्यता का सम्मान झ) अनुक्रिया की तीव्रता सुनिश्चित करना ञ) सीखने, सृजनशीलता एवं टीमवर्क को बढ़ावा देना सामान्य तौर पर, ये मानक कारोबार और उत्तरदायित्व को कुशल एवं तीव्र ढंग से करने की जरूरत को रेखांकित करते हैं जिसमें कॉर्पोरेशन के विभिन्न मामलों जैसे घरेलू एवं बहुपक्षीय और विदेशी ऋण कराधान, मूल्यांकन, वसूली, संवितरण, ग्राहकों और कार्मिकों तथा हितधारकों आदि के साथ भुगतान लेन-देन करते समय वित्तीय स्वामित्व, अर्थव्यवस्था, मितव्ययिता, निष्पक्ष कार्य, पारदर्शिता, नैसर्गिक न्याय आदि के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। एक वाणिज्यिक संगठन होने के कारण, ग्राहकों और हितधारकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा और उत्पाद देने की प्रतिबद्धता को व्यापार के निपटान के लिए नियमों और मानकों में उच्च प्राथमिकता मिलती है।
		(iii) इन सेवाओं तक पहुंचने की प्रक्रिया	जिस प्रक्रिया द्वारा इन सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है उससे संबंधित संगत सूचना नीचे नागरिक चार्टर के अंतर्गत दी गई है और जिसका लिंक नीचे दिया गया है :- **https://www.pfcindia.com/Home/VS/84**
		(iv) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समय-सीमा	लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समय-सीमा से संबंधित जानकारी पीएफ़सी के “नागरिक चार्टर” में उपलब्ध है जिसका लिंक नीचे दिया गया है :- **https://www.pfcindia.com/Home/VS/84**

<table>
<tr><td></td><td></td><td>(v) शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया</td><td>शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी पीएफ़सी के “नागरिक चार्टर” में उपलब्ध है जिसका लिंक नीचे दिया गया है :-
https://www.pfcindia.com/Home/VS/84.</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>प्रकार्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, निर्देश मैनुयल एवं रिकॉर्ड और रिकॉर्ड/ मैनुयल/ निर्देश का शीर्षक एवं प्रकृति [मद 4(1)(ख)(v)]</td><td>(i) रिकॉर्ड/ मैनुयल/ निर्देश का शीर्षक एवं प्रकृति</td><td>रिकॉर्ड/ मैनुयल/ निर्देश का शीर्षक एवं प्रकृति, जो जनता के किए पीएफ़सी की वेबसाइट पर उपलब्ध है :-
<table>
<tr><th>दस्तावेज़ का नाम/ शीर्षक</th><th>Weblink</th></tr>
<tr><td>पीएफ़सी की वार्षिक रिपोर्ट</td><td>https://www.pfcindia.com/Home/VS/72</td></tr>
<tr><td>पीएफ़सी में धोकाधड़ी के निवारण हेतु नीति</td><td>https://www.pfcindia.com/Home/VS/65</td></tr>
<tr><td>रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पीएफ़सी निष्पक्ष पद्धति संहिता</td><td>https://www.pfcindia.com/Home/VS/62</td></tr>
<tr><td>बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण एवं नैतिकता संहिता</td><td>https://www.pfcindia.com/Home/VS/63</td></tr>
<tr><td>पीएफ़सी इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग के निवारण हेतु संहिता</td><td>https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1614952208955_Insider_Trading_Code_Amended05032021.pdf&path=Page</td></tr>
<tr><td>संबद्ध पक्षकार लेन-देन के मेटीरियलिटी हेतु नीति</td><td>https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1561552784406_Final%20Policy%20on%20RPT%2017052019.pdf&path=Page</td></tr>
<tr><td>मेटीरियल सब्सिडियरी निर्धारण नीति</td><td>https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1561552854274_Final%20Policy%20for%20Material%20Subsidiary17052019.pdf&path=Page</td></tr>
<tr><td>व्हिसल ब्लोअर नीति</td><td>https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1490188785276_WBP.pdf&path=Page</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करने के लिए सूचना/ आयोजन के मेटीरियलिटी पर नीति	https://www.pfcindia.com/Home/VS/68
			क्रय संबंधी योजना पर नीति - वार्षिक क्रय संबंधी योजना	https://www.pfcindia.com/Home/VS/125
			लाभांश वितरण पर नीति	https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1546009180778_DividendDistribution.pdf&path=Page
			बोर्ड सदस्य के प्रशिक्षण हेतु नीति	https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1519129010410_CCE20022018ENG.pdf&path=Page
		(ii) नियम, विनियम, निर्देश मैनुयल एवं रिकॉर्ड की सूची	कंपनी के कार्मिकों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जा रहे महत्वपूर्ण मैनुअल की सूची नीचे दी गई है: • एचआर मैनुअल, • क्रय- संबंधी मैनुअल, • सतर्कता मैनुअल, • संसाधन जुटाव मैनुअल (घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय) • सर्विसिंग मैनुअल (घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय), • निवेश मैनुअल, • आपदा प्रबंधन नीति आदि • शक्ति का प्रत्यायोजन निम्नलिखित सांविधिक रिकॉर्ड भी पीएफसी द्वारा बनाए रखा जाता है: • सदस्यों के रजिस्टर, • निदेशकों एवं केएमपी (यों) के रजिस्टर, • प्रभार हेतु रजिस्टर और • संविदाओं या व्यवस्थाओं का रजिस्टर जिसमें निदेशकों की रुचि है इत्यादि
		(iii) नियम, विनियम, निर्देश मैनुयल इत्यादि		
		(iv) स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश	स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश नीचे उल्लिखित लिंक में दिए गए है:- https://www.pfcindia.com/Home/VS/10176	

1.6	दस्तावेजों की श्रेणियां जो इसके नियंत्रणाधीन प्राधिकारी के पास हैं [मद 4(1)(ख) (vi)]	(i) दस्तावेजों की श्रेणियां	**दस्तावेजों की श्रेणियां: -** दस्तावेजों को गोपनीय (जिसे जनता को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता) और सामान्य के संदर्भ में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। **i. निम्नलिखित सामान्य दस्तावेज़ हैं जो इसके प्रचालनों के कारगर व कुशल कार्य के लिए विभाग के पास हैं:** **1.** संस्था के अंतर्नियम व संस्था के ज्ञापन **2.** कारोबार व कार्य के लिए विकसित नियम पुस्तिकाएं क) मानव संसाधन मैनुअल, ख) सर्विसिंग मैनुअल (घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय), ग) प्रोक्योरमेंट मैनुअल, घ) सतर्कता मैनुअल, ण) संसाधन जुटाव मैनुअल (घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय), च) निवेश मैनुअल छ) जोखिम प्रबंधन नीति आदि ज) कंपनी के व्यवसाय प्रचालन संबंधित अन्य दस्तावेज़ **3. प्रचालनात्मक नीति विवरण** **ii. गोपनीय दस्तावेज़ जो अधिनियम के खंड 8 के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त हैं, इस प्रकार हैं:** 1. वाणिज्यिक गोपनीयता, व्यापार सीक्रेट्स अथवा बौद्धिक संपत्ति सहित, जिसके प्रकटन से तृतीय पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान हो **2.** प्रवर्तन संबंधी उद्देश्यों के लिए अनुसंधानात्मक रिकॉर्डों का अनुपालन परंतु उस सीमा तक जिसके प्रकटन से निम्नलिखित किसी निर्दिष्ट हित का नुकसान हो : क) प्रवर्तन कार्यवाहियां ख) निष्पक्ष जांच या निष्पक्ष निर्णय ग) निजी गोपनीयता घ) जांच स्रोतों की गोपनीयता च) कानून प्रवर्तन कार्मिकों की तकनीकें, कार्यविधि एवं सुरक्षा **3.** किसी व्यक्ति की उसकी न्यासीय स्थिति में उपलब्ध जानकारी **4.** विदेशी सरकार से गुप्त रूप से प्राप्त जानकारी **5.** जानकारी, जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन अथवा शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो अथवा कानून प्रवर्तन अथवा सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई जानकारी अथवा सहायता के स्रोत का पता लगाना। **6.** ऐसी सूचना जो किसी की व्य क्तिगत जानकारी से संबंधित है जिसके प्रकटन का सार्वजनिक गतिविधि अथवा हित से कोई संबंध नहीं है अथवा जो संबंधित व्यकक्ति की निजता में अकारण दखल दे। **7.** जानकारी जो विशेष रूप संविधि द्वारा प्रकटन से छूट प्राप्त हो। **8.** जानकारी जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक

			हित, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता हो अथवा जो किसी अपराध के लिए उकसाए। **9.** जानकारी जिसे स्पष्ट रूप से किसी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा प्रकाशित करने की मनाही हो अथवा जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो। **10.**जानकारी जिसके प्रकटन से संसद के विशेषाधिकार अथवा राज्य विधायिका का उल्लंघन होता हो। **11.**कोई अन्य दस्तावेज़ जिसे प्रबंधन अपने एकमात्र स्वविवेक से गोपनीय रखना चाहता है।

		(ii) दस्तावेज़ के संरक्षक / श्रेणियां	**दस्तावेज़ के संरक्षक / श्रेणियां :-** निगम द्वारा रखे गए दस्तावेज आमतौर पर संबंधित और जिम्मेदार अधिकारी द्वारा निगम के भीतर संदर्भ के लिए होते हैं। संबंधित दस्तावेजों का संरक्षक संबंधित यूनिट प्रमुख होता है।
1.7	लोक प्राधिकारी के अंग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय [मद 4(1)(ख)(viii)]	(i) बोर्ड, परिषद, समितियों के नाम	विभिन्न प्रयोजनों के लिए गठित दो या दो से अधिक व्यक्तियों वाले विभिन्न बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण नीचे दिए गए हैं। पुष्टि की जाती है कि इन बोर्डों, समितियों और निकायों की बैठकें आंतरिक निर्णय लेने के लिए होती हैं और आम तौर पर जनता के लिए खुली नहीं हैं और इन बैठकों के कार्यवृत्त जनता की पहुँच में नहीं हैं। बोर्डों के अतिरिक्त, ऊपर उल्लिखित स्थायी समितियां, कुछ समितियां विशेष प्रयोजन और सिफ़ारिशों के लिए गठित की जाती हैं और उसके बाद अस्तित्व में नहीं रहती। उदाहरणार्थ, कार्मिकों की पदोन्नति, कार्मिकों के चयन और किसी बोर्ड मामले में कोई विशेष सलाह देने के लिए गठित समितियां।

		(ii) संघटन (iii) गठन की तारीख	कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है। कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेदों के अनुसार, निदेशक मंडल में न्यूनतम 3 और अधिकतम 15 निदेशक हो सकते हैं। निदेशक मंडल का नवीनतम संघटन नीचे दिया गया है :- https://www.pfcindia.com/BoardofDirectors निदेशक मंडल का नवीनतम संघटन नीचे दिया गया है :- https://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1614341684991_Latest_Composition_of_Committees26022021.pdf&path=Page
		(iv) अवधि/कार्यकाल (v) शक्तियां और कार्य	समितियों का विवरण (उनकी शर्तें/कार्यकाल/शक्तियां आदि) निगमित प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली रिपोर्ट में शामिल हैं जो पीएफसी वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: - http://www.pfcindia.com/Home/VS/72
		(vi) क्या इनकी बैठकें सार्वजनिक हैं?	बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकें सार्वजनिक नहीं हैं।
		(vii) क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं? (viii) यदि जनता के लिए खुले कार्यवृत्त उपलब्ध है उस स्थान का नाम?	कंपनी के आंतरिक दस्तावेज़ होने के कारण बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले नहीं हैं।

1.8	अधिकारियों एवं कार्मिकों की डायरेक्टरी [मद 4(1) (ख) (ix)]	(i) नाम एवं पदनाम (ii) टेलीफोन, फैक्स एवं ई-मेल आईडी	अधिकारियों एवं कार्मिकों की डायरेक्टरी उनके नाम एवं पदनाम के साथ नीचे दिए गए लिंक पर दी गई है :- https://www.pfcindia.com/Home/VS/50
1.9	इसके विनियमों में दिए गए क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित इसके अधिकारियों और कार्मिकों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक [मद 4(1) (ख) (x)]	(i) सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कार्मिकों की सूची (ii) मुआवजे की प्रणाली जैसा कि इसके विनियमों में दिया गया है	निगम द्वारा स्थायी रोल पर नियुक्त कार्मिकों और अधिकारियों को मासिक आधार पर पारिश्रमिक मिलता है। हालांकि, पारिश्रमिक की कुछ वर्ग हैं, जो वार्षिक आधार पर अभिव्यक्त और तय की जाती हैं। हालांकि कार्मिकों और अधिकारियों को मिलने वाले मासिक पारिश्रमिक में मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि शामिल हैं, वार्षिक शुल्क के आधार पर अभिव्यक्त और भुगतान किए गए पारिश्रमिक में कार्मिक प्रोत्साहन योजना आदि के संदर्भ में निगम के सामूहिक कार्यनिष्पादन के आधार पर परिवर्ती क्षतिपूर्ति भी शामिल होता है। विभिन्न वर्गों के अधिकारियों और कार्मिकों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक की विस्तृत संरचना नीचे दिए गए लिंक में निर्दिष्ट है: - https://www.pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/RTI/RTI_Disclosure/x%20Monthly%20Remuneration%20recieved%20by%20officers%20and%20employees%20including%20system%20of%20compensation(1).pdf
1.10	जन सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण [मद 4(1) (ख) (xvi)]	(i) जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी (एफ़एए) के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण (ii) प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी	जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफ़एए) के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण (पता, दूरभाष सं. एवं ई-मेल) निम्नानुसार है: **जन सूचना अधिकारी (पीआईओ)** श्री मनोहर बलवानी, मुख्य महाप्रबंधक (सीएस) एवं जन सूचना अधिकारी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 टेलीफोन नं. 011-23456000 (O) फैक्स नं. +91-11-23456740 ई-मेल आईडी : mb@pfcindia.com

			पीआईओ की ज़िम्मेदारी मानित पीआईओ (यों) से जानकारी एकत्र करना और उसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को प्रदान करना है। **प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफ़एए)** श्री जी एस पात्रा , कार्यपालक निदेशक (परियोजना) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 टेलीफोन: 011-23456604 ई-मेल: gs_patra@pfcindia.com प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफ़एए) की नियुक्ति जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध अपील स्वीकार करने के लिए की जाती है।
1.11	कार्मिकों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है (मद 4(2))	कार्मिकों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है (i) लघु दंड या बड़ी शास्ति कार्यवाही के लिए लंबित	वित्तीय वर्ष 2020-21 में, 1 पूर्व- कार्मिक और 6 मौजूदा कार्मिकों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त के अलावा 1 पूर्व-कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है क्योंकि मामला दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
		(ii) मामूली दंड या बड़ी दंड कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया	आरोपित कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद दंड का निर्धारण किया जाएगा।
1.12	आरटीआई की समझ को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (मद 26)	(i) शैक्षिक कार्यक्रम (ii) इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रोत्साहित करने का प्रयास	निगम की नीति के अनुसार, पीएफसी कार्मिकों को उनके जॉब प्रोफाइल के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

		(iii) सीपीआईओ/एपीआईओ की ट्रेनिंग	
		(iv) संबंधित लोक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशा-निर्देशों का अद्यतन और प्रकाशन	आरटीआई प्रकटीकरण की सामग्री को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।
1.13	स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश [फाइल सं. 1/6/2011- IR दिनांक 15.4.2013]		स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश नीचे दी गई लिंक में है : https://www.pfcindia.com/Home/VS/10176

2. बजट एवं कार्यक्रम

क्रम. सं.	**मद**	**प्रकटीकरण का विवरण**	**सूचना/ उपयुक्त वेब लिंक**
2.1	प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट आदि शामिल हैं। [मद 4(1)(ख)(xi)]	(i) सार्वजनिक प्राधिकारी के लिए कुल बजट	संबंधित जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर दी गई है:- https://www.pfcindia.com/Home/VS/10176
		(ii) प्रत्येक एजेंसी के लिए बजट और योजना एवं कार्यक्रम	
		(iii) प्रस्तावित व्यय	
		(iv) प्रत्येक एजेंसी के लिए प्रस्तावित बजट, यदि कोई हो	
		(v) किए गए संवितरण पर रिपोर्ट और वह स्थान जहां संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध हैं।	

2.2	अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू यात्राएं (फाइल सं. 1/8/2012- IR दिनांक 11.9.2012)	(i) बजट	विदेश और घरेलू यात्रा के लिए स्वीकृत बजट क्रमशः आईएनआर 5 करोड़ और आईएनआर 7.47 करोड़ था।
		(ii) मंत्रालयों और सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ विभाग के प्रमुखों द्वारा विदेश और घरेलू दौरे। क) विसिट किए गए स्थान ख) दौरे की अवधि ग) आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की संख्या घ) दौरे पर किया गया व्यय	वि.व. 2020-21 के दौरान कोई भी दौरा आयोजित नहीं किया गया।
		(iii) क्रय संबंधित जानकारी क) नोटिस/निविदा जानकारी, और शुद्धिपत्र यदि कोई हो, ख) प्रदान की गई बोलियों का विवरण जिसमें प्राप्त की जा रही वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल हैं, ग) कार्य संविदा समाप्ती - उपरोक्त के किसी भी ऐसे संयोजन में- और घ) दर/दरें और कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य संविदा निष्पादित किया जाना है।	निविदाओं के संबंध में विवरण नीचे दिए गए लिंक पर पोस्ट किया गया है: - https://www.pfcindia.com/Tenders

2.3	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका [मद 4(i)(ख)(xii)]	(i) गतिविधि के कार्यक्रम का नाम	भारत सरकार की उन योजनाओं से संबंधित प्रासंगिक जानकारी, जिनकी निगम एक नोडल एजेंसी है, नीचे दिए गए लिंक पर दी गई है: - http://pfcindia.com/Home/VS/23
		(ii) कार्यक्रम का उद्देश्य	
		(iii) लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया	
		(iv) कार्यक्रम/योजना की अवधि	
		(v) कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य	
		(vi) सब्सिडी /आवंटित राशि का पैमाना/प्रकृति	
		(vii) सब्सिडी प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड	
		(viii) सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफाइल आदि)	
2.4	विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [फाइल.सं. 1/6/2011-IR दिनांक 15.04.2013]	(i) राज्य सरकार/गैर सरकारी संगठनों/अन्य संस्थानों को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आवंटन	भारत सरकार की उन योजनाओं से संबंधित प्रासंगिक जानकारी, जिनकी निगम एक नोडल एजेंसी है, नीचे दिए गए लिंक पर दी गई है: - http://pfcindia.com/Home/VS/23
		(ii) सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक लेखें जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है।	विद्युत संस्थाओं की वेबसाइट पर उपलब्ध।
2.5	रियायतों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्राधिकरणों के परमिट [मद 4(1) (ख) (xiii)]	(i) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण	भारत सरकार की उन योजनाओं से संबंधित प्रासंगिक जानकारी, जिनकी निगम एक नोडल एजेंसी है, नीचे दिए गए लिंक पर दी गई है: http://pfcindia.com/Home/VS/23
		(ii) दी गई प्रत्येक रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए क) पात्रता मानदंड ख) रियायत/अनुदान और/या प्राधिकरणों के परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया ग) रियायतें / परमिट या प्राधिकरण दिए गए प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता	

		घ) रियायतें/प्राधिकरणों के परमिट देने की तारीख	
2.6	सीएजी एवं पीएसी पैरा [फाइल नं. 1/6/2011- IR दिनांक 15.4.2013]	सीएजी और पीएसी पैरा और इनके बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया है।	संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने के बाद सीएजी द्वारा अपनी वेबसाइट **(www.cag.gov.in)** पर पैरा, यदि कोई हो, प्रस्तुत किया जाता है।

3. प्रचार और सार्वजनिक इंटरफेस

क्रम. सं.	**मद**	**प्रकटीकरण का विवरण**	**सूचना/ उपयुक्त वेब लिंक**
3.1	नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी व्यवस्था के लिए विवरण	जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था (i) प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं	लागू नहीं
	[मद 4(1)(ख)(vii)] [फाइल नं. 1/6/2011-IR दिनांक 15.04.2013]	(ii) द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था क) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्य क) आगंतुकों के लिए आवंटित दिन और समय (i) आरटीआई आवेदकों द्वारा बार-बार मांगे जाने वाले प्रकाशनों को उपलब्ध कराने के लिए सूचना एवं सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण	लागू नहीं

		सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) (i) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
		(ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)	
		(iii) रियायत समझौते	
		(iv) संचालन और रखरखाव मैनुअल	
		(v) पीपीपी के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में प्रस्तुत अन्य दस्तावेज	
		(vi) शुल्क, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है।	
		(vii) आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी	
		(viii) निजी क्षेत्र की पार्टी (रियायतग्राही आदि) के चयन की प्रक्रिया	
		(ix) All payment made under the PPP project	
3.2	क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों का विवरण उन्हें सूचित किया जाता है [मद 4(1)(क)]	महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करना या प्रक्रिया को और अधिक संवादात्मक बनाने के लिए जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करना;	

		(i) पिछले एक साल में लिए गए नीतिगत फैसले/कानून	लागू नहीं
		(ii) सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया को रेखांकित करें	
		(iii) नीति बनाने से पहले परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करें	
3.3	सूचना का व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसार करना जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो। [मद 4(3)]	पत्राचार के सबसे प्रभावी साधनों का उपयोग (i) इंटरनेट (वेबसाइट)	आरटीआई प्रकटीकरण पीएफसी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (www.pfcindia.com).
3.4	सूचना मैनुअल / हैंडबुक की पहुंच का प्रपत्र [मद 4(1)(ख)]	सूचना मैनुअल / हैंडबुक में उपलब्ध है (i) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप	आरटीआई प्रकटीकरण पीएफसी वेबसाइट (www.pfcindia.com) पर पोस्ट किया जाता है और वेबसाइट में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा की सुविधा है। सभी नागरिक वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं और वहां से प्रिंटआउट ले सकते हैं।
		(ii) मुद्रित प्रारूप	
3.5	सूचना पुस्तिका/पुस्तिका नि:शुल्क उपलब्ध है या नहीं [मद 4(1)(ख)]	उपलब्ध सामग्री की सूची (i) निशुल्क	आरटीआई प्रकटीकरण पीएफसी वेबसाइट (www.pfcindia.com) पर पोस्ट किया जाता है और वेबसाइट में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा की सुविधा है। सभी नागरिक वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं और वहां से प्रिंटआउट ले सकते हैं।
		(ii) माध्यम की उचित कीमत पर	

4. ई-गवर्नेंस

क्रम सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ उपयुक्त वेब लिंक
4.1	वह भाषा जिसमें सूचना मैनुअल/हैंडबुक उपलब्ध है [फाइल सं. 1/6/2011-IR दिनांक 15.4.2013]	(i) अंग्रेजी	आरटीआई प्रकटीकरण पीएफसी वेबसाइट (www.pfcindia.com) पर पोस्ट किया जाता है और वेबसाइट में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा की सुविधा है।
		(ii) मातृ भाषा / स्थानीय भाषा	
4.2	सूचना मैनुअल / हैंडबुक को अंतिम बार कब अपडेट किया गया था? [फाइल सं. 1/6/2011-IR दिनांक 15.4.2013]	वार्षिक अद्यतन की अंतिम तारीख	28.04.2021
4.3	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी [मद 4(1)(ख)(xiv)]	(i) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण	उपयुक्त लिंक नीचे दी गई है :- **https://www.pfcindia.com/Home**
		(ii) दस्तावेज़ का नाम/शीर्षक/रिकॉर्ड/अन्य जानकारी	
		(iii) स्थान जहां उपलब्ध है	
4.4	जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [मद 4(1)(ख)(xv)]	(i) सुविधा का नाम एवं स्थान	उपयुक्त लिंक नीचे दी गई है :- **https://www.pfcindia.com/Home**
		(ii) उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण	
		(iii) सुविधा का कार्य समय	
		(iv) संपर्क व्यक्ति और संपर्क विवरण (फोन, फैक्स ईमेल)	**सार्वजनिक सूचना अधिकारी** (**पीआईओ**) श्री मनोहर बलवानी, सीजीएम (सीएस) एवं सार्वजनिक सूचना अधिकारी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड , ऊर्जानिधि' , 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001. टेलीफोन नं. 011-23456000 (O)

			फैक्स नं. +91-11-23456740 ई-मेल आईडी : mb@pfcindia.com
4.5	ऐसी अन्य जानकारी जो मद 4(i) (b)(xvii) के तहत निर्धारित की जा सकती है	(i) शिकायत निवारण तंत्र	पीएफसी के "सिटीजन चार्टर" में शिकायतों से संबंधित तंत्र का उल्लेख किया गया है जो नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है।:- **https://www.pfcindia.com/Home/VS/84**.
		(ii) आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों का विवरण और उपलब्ध कराई गई जानकारी	सूचना उल्लिखित लिंक पर उपलब्ध है:- **https://www.pfcindia.com/Home/VS/10176**
		(iii) पूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची	भारत सरकार की उन योजनाओं से संबंधित प्रासंगिक जानकारी, जिनकी निगम एक नोडल एजेंसी है, नीचे दिए गए लिंक पर दी गई है: **http://pfcindia.com/Home/VS/23**
		(iv) चालू योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची	
		(v) सभी संविदाओं का विवरण जिसमें ठेकेदार का नाम, संविदा की राशि और संविदा पूर्ण होने की अवधि शामिल है	
		(vi) वार्षिक रिपोर्ट	उपयुक्त लिंक नीचे दी गई है :- **https://www.pfcindia.com/Home/VS/72**
		(vii) बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू)	उपयुक्त लिंक नीचे दी गई है :- **https://www.pfcindia.com/Home/VS/10201**
		(viii) कोई अन्य जानकारी जैसे क) नागरिक चार्टर	नागरिक चार्टर की उपयुक्त लिंक नीचे दी गई है :- **https://www.pfcindia.com/Home/VS/84**
		ख) परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफ़डी)	लागू नहीं
		ग) नागरिक चार्टर में निर्धारित बेंचमार्क के निमित्त कार्य-निष्पादन पर छमाही रिपोर्ट	लागू नहीं

4.6	आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान [F.No 1/6/2011-IR दिनांक 15.04.2013]	(i) प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों का विवरण (ii) प्राप्त अपीलों और जारी आदेशों का विवरण	जानकारी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :- https://www.pfcindia.com/Home/VS/10176
4.7	संसद में पूछे गए सवालों के जवाब [मद 4(1)(d)(2)]	पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण	लागू नहीं

5. सूचना के रूप में निर्धारित किया जा सकता है

क्रम सं.	**मद**	**प्रकटीकरण का विवरण**	**सूचना/ उपयुक्त वेब लिंक**
5.1	ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है [F.No. 1/2/2016-IR दिनांक 17.8.2016, F No. 1/6/2011-IR दिनांक 15.4.2013]	(i) नाम और विवरण क) वर्तमान सीपीआईओ एवं एफ़एए (a) दिनांक 01.01.2015 से पूर्व सीपीआईओ एवं एफ़एए	**(क) 01.01.2015 से अब तक पीआईओ-पीएफ़सी :-** श्री मनोहर बलवानी, श्री मनोहर बलवानी, सीजीएम (सीएस) एवं सार्वजनिक सूचना अधिकारी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड , ऊर्जानिधि' , 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001. टेलीफोन नं. 011-23456000 (O) फैक्स नं. +91-11-23456740 ई-मेल आईडी : mb@pfcindia.com **वर्तमान एफ़एए** :- श्री जी एस पात्र , कार्यपालक निदेशक (परियोजना) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड , ऊर्जानिधि' , 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001 टेलीफोन: 011-23456604

			ई-मेल: gs_patra@pfcindia.com **(ख) 1.1.2015 से एफ़एए :-** **01.01.2015 से 07.09.2017 तक :-** श्री पी के सिंह , प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड , ऊर्जानिधि' , 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 **08.09.2017** से **28.02.2021** तक**:-** श्री दिनेश विज, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड , ऊर्जानिधि' , 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 **16.03.2021 से अब तक :-** श्री जी एस पात्रा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड , ऊर्जानिधि' , 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
		(ii) स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा का विवरण क) किए गए लेखापरीक्षा की तिथियां ख) की गई लेखापरीक्षा की रिपोर्ट	जानकारी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :- https://www.pfcindia.com/Home/VS/10176
		(iii) नोडल अधिकारियों की नियुक्ति जो संयुक्त सचिव/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के पद से नीचे न हो	सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ) का विवरण नीचे दिया गया है: श्री मनोहर बलवानी, सीजीएम (सीएस) एवं सार्वजनिक सूचना अधिकारी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड , ऊर्जानिधि' , 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001.

			टेलीफोन नं. 011-23456000 (O) फैक्स नं. +91-11-23456740 ई-मेल आईडी : mb@pfcindia.com

		क) नियुक्ति की तारीख ख) अधिकारियों के नाम एवं पदनाम	
		(iv) स्वत: प्रकटीकरण पर सलाह के लिए प्रमुख हितधारकों की परामर्श समिति क) जिस तारीख से गठित किया गया ख) अधिकारियों के नाम एवं पदनाम	लागू नहीं
		(v) आरटीआई के तहत अक्सर मांगी गई जानकारी की पहचान करने के लिए आरटीआई में समृद्ध अनुभव वाले पीआईओ/एफएए की समिति क) जिस तारीख से गठित किया गया ख) अधिकारियों के नाम एवं पदनाम	लागू नहीं

6. स्वयं की पहल पर प्रकट की गई सूचना

क्रम सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ उपयुक्त वेब लिंक
6.1	वस्तु/सूचना का खुलासा ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े	आरटीआई प्रकटीकरण की सामग्री को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। इसके अलावा, एमएस यूनिट द्वारा पीएफसी वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट/समीक्षा की जाती है।	

6.2	भारत सरकार की वेबसाइटों (GIGW) के लिए दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है (फरवरी, 2009 में जारी किया गया और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (CSMOP) में शामिल किया गया।)	(i) क्या एसटीक्यूसी प्रमाणीकरण और इसकी वैधता प्राप्त किया गया है? (ii) क्या वेबसाइट वेबसाइट पर प्रमाणपत्र दिखाती है?	(i) हाँ 19.02.2019 को। जब तक डिजाइन में कोई बड़ा संशोधन नहीं किया जाता तब तक वैधता शाश्वत है। (ii) चूंकि यह एक भौतिक कागज आधारित प्रमाण पत्र है, इसलिए इसे संबंधित वैधानिक एजेंसियों को मांग पर और पीएफसी की संतुष्टि पर प्रदान किया जा सकता है।